-:प्रेस नोट:-

दिनांक- 12.07.2026

कार्यालय पुलिस अधीक्षक बांदा

- **थाना साइबर क्राइम, कोतवाली नगर व एसओजी की संयुक्त पुलिस टीम द्वारा साइबर ठगी गिरोह का भंडाफोड़ करते 09 सदस्यों को किया गया गिरफ्तार। अभियुक्तों के कब्जे से साइबर ठगी के 52.47 हजार रुपए नकद, 10 मोबाइल फोन, 06 एटीएम कार्ड, लैपटॉप, पैनकार्ड आदि सहित अपराध में प्रयुक्त एक चारपहिया वाहन बरामद।**
- **अभियुक्त मुख्य रूप से एपीके (APK) फाइल एवं अन्य एप्लिकेशन/सॉफ्टवेयर के माध्यम से लोगों के मोबाइल फोन हैक कर साइबर ठगी की वारदातों को देते थे अंजाम।**
- **अभियुक्तों द्वारा लोगों को बहला-फुसलाकर/झांसा देकर उनके आधार व पैन कार्ड आदि दस्तावेजो का दुरुपयोग कर फर्जी फर्म व कॉर्पोरेट कम्पनियोंआदि के नाम पर बैंक खाता खुलवाकर उनमें मंगाये जाते थे साइबर ठगी के रुपए।**

विवरण- पुलिस अधीक्षक बांदा श्री पलाश बंसल के निर्देशन में जनपद में अपराध एवं अपराधियों पर नियंत्रण लगाये जाने तथा वांछित अभियुक्तों की गिरफ्तारी हेतु चलाए जा रहे अभियान के क्रम में अपर पुलिस अधीक्षक बांदा श्री शिवराज के पर्यवेक्षण व सहायक पुलिस अधीक्षक/क्षेत्राधिकारी नगर सुश्री मेविस टॉक के नेतृत्व में थाना साइबर क्राइम व एसओजी की संयुक्त पुलिस टीम द्वारा साइबर ठगी के गिरोह का भंडाफोड़ करते हुए गिरोह के 09 सदस्यों को गिरफ्तार कर लिया गया है। गौरतलब है कि साइबर क्राइम पुलिस थाना टीम को एक बैंक खाते के संबंध में सूचना प्राप्त हुई थी कि जिसमें साइबर ठगो द्वारा विभिन्न माध्यमों से लोगों से ठगी करके ठगी की गई धनराशि उक्त बैंक खाते में मंगवाई जाती थी। जिसके सम्बन्ध में पुलिस टीम द्वारा उक्त संदिग्ध खाता धारक को दिनांक 11/12.07.2026 की रात्रि को हिरासत में मवई बाइपास से पकड़ लिया गया तथा उक्त फर्म के नाम पर बैंक खाता के बारे में पूछने पर उसके द्वारा बताया गया कि यह खाता उसी का है जिसका उपयोग वह साइबर ठगी के रुपए मंगाने में करता है जिसके एवज में उसे कमीशन के रुप में कुछ रुपए मिलते है। उसके गिरोह में और भी कई लोग है जो इस समय बुंदेलखण्ड एक्सप्रेस वे के नीचे मेरा इंतजार कर रहे है। पुलिस टीम द्वारा तत्काल हिरासत में लिए गए व्यक्ति प्रेम प्रकाश को लेकर बुंदेलखण्ड एक्सप्रेस-वे के नीचे दबिश देकर घेराबन्दी करते हुए एक चारपहिया वाहन बोलेरो में बैठे हुए 08 अन्य व्यक्तियों को हिरासत में लिया गया जिनसे कड़ाई से पूछताछ करने पर पाया गया कि पाया गया कि अभियुक्तों का साइबर ठगी का एक संगठित गिरोह है जो मुख्य रूप से एपीके (APK) फाइल एवं अन्य एप्लिकेशन/सॉफ्टवेयर के माध्यम से लोगों के मोबाइल फोन हैक कर साइबर ठगी की वारदातों को अंजाम देते है। साथ ही लोगों को बहला-फुसलाकर/झांसा देकर उनके आधार कार्ड, पैन कार्ड एवं अन्य पहचान संबंधी दस्तावेज प्राप्त कर इन दस्तावेजों का दुरुपयोग करते हुए फर्जी फर्मों एवं कंपनियों के नाम पर विभिन्न बैंकों में खाते खुलवाए जाते थे। साथ ही, इन्हीं दस्तावेजों के आधार पर फर्जी सिम कार्ड भी प्राप्त किए जाते थे। इन खातों का उपयोग साइबर ठगी से प्राप्त धनराशि को प्राप्त करने व उसे विभिन्न

खातों में स्थानांतरित करने तथा नकद निकालने तथा अपनी पहचान छिपाने के लिए किया जाता था तथा अपराध करने के उपरांत साइबर क्राइम की शिकायत के उपरांत खाता होल्ड होने की जानकारी प्राप्त होते ही घटना में प्रयुक्त फोन, सिम कार्ड आदि को नष्ट कर देते थे। इस सम्बन्ध में पुलिस द्वारा गिरोह के अन्य सदस्यों, उनके सहयोगियों, फर्जी बैंक खातों, सिम कार्ड उपलब्ध कराने वाले व्यक्तियों तथा साइबर ठगी से अर्जित धनराशि के लेन-देन के संबंध में गहन जांच की जा रही है। साथ ही, बरामद मोबाइल फोन, लैपटॉप एवं अन्य डिजिटल उपकरणों की फॉरेंसिक जांच कर गिरोह द्वारा अंजाम दी गई अन्य साइबर ठगी की घटनाओं का भी पता लगाया जा रहा है। साइबर ठगी के संगठित गिरोह का सफलतापूर्वक भंडाफोड़ कर 09 आरोपियों की गिरफ्तारी करने वाली संयुक्त पुलिस टीम के उत्कृष्ट कार्य की सराहना करते हुए पुलिस अधीक्षक बांदा श्री पलाश बंसल द्वारा टीम को ₹20 हजार रुपए के नगद पुरस्कार से सम्मानित किया गया।

बरामदगी-

- 52 हजार 475 रुपए नकद
- 01 चारपहिया वाहन बोलेरो
- 10 मोबाइल फोन
- 01 लैपटॉप
- 06 एटीएम कार्ड
- 01 चेकबुक
- 01 पैनकार्ड

गिरफ्तार अभियुक्त-

1. प्रेम प्रकाश पुत्र भैरम प्रसाद निवासी वार्ड सं0 04 जवाहर नगर कस्तूरबा आवासीय विद्यालय के पास थाना नरैनी जनपद बांदा।
2. सूरज पुत्र सुरेश निवासी बिजली खेड़ा थाना कोतवाली नगर जनपद बांदा।
3. समीर पुत्र सुनील कुमार निवासी किरन कालेज चौराहा थाना कोतवाली नगर जनपद बांदा।
4. अभिषेक पुत्र राजू निवासी जरैली कोठी थाना कोतवाली नगर जनपद बांदा।
5. जीतू पुत्र राजेश निवासी कंचनपुरवा जनपद बांदा।
6. योगेश पुत्र चुनबाद निवासी पल्हरी थाना कोतवाली नगर जनपद बांदा।
7. कृष्णा पुत्र महेश निवासी डिग्गी चौराहा थाना कोतवाली नगर जनपद बांदा।
8. सुशील कुमार पुत्र श्रीराम गोपाल निवासी कनवारा थाना कोतवाली नगर जनपद बांदा।
9. मुकेश कुमार पुत्र नत्थू निवासी सहरी थाना मटौंध जनपद बांदा।

पंजीकृत अभियोग-

1. मु0अ0सं0 12/26 धारा 318(4)/111/61/3(5)/238 बीएनएस व 66D आईटी एक्ट थाना साइबर क्राइम जनपद बांदा।

गिरफ्तारी करने वाली टीम-:

साइबर थाना टीम-

1. श्री सुखराम सिंह प्र0नि0 साइबर क्राइम पुलिस थाना

2. उ0नि0 श्री प्रदीप कुमार साइबर क्राइम पुलिस थाना
3. का0 हिमांशु वर्मा साइबर क्राइम पुलिस थाना
4. का0 ललित कुमार साइबर क्राइम पुलिस थाना
5. का0 रविन्द्र कुमार साइबर क्राइम पुलिस थाना
6. का0 दिनेश पटेल साइबर क्राइम पुलिस थाना
7. का0 धर्मेंद्र कुमार साइबर क्राइम पुलिस थाना

एसओजी/ सर्विलांस टीम-

1. श्री आनंद कुमार प्रभारी एसओजी
2. श्री राजेश कुमार मौर्य प्रभारी सर्विलांस
3. का0 प्रतीक सिंह एसओजी
4. का0 मनीष मिश्रा एसओजी
5. का0 कमल सिंह एसओजी
6. का0 रिषभ एसओजी

कोतवाली नगर टीम-

1. श्री दीपक सैनी चौकी प्रभारी कृषि विश्विद्यालय
2. श्री आकाश शुक्ला चौकी प्रभारी खाईपार
3. हे0का0 राघवेंद्र सिंह थाना कोतवाली नगर